



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2016/अग्रहायण 10, 1938

No. 2827]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2016/AGRAHAYANA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3606(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा “चंडीगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड” उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशासक, संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा गठित एक निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, आय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (1) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और उसमें आने वाले नियमों के अंतर्गत संग्रहीत उपकर से आगम;
- (2) निवेश से प्राप्त ब्याज आय।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए चंडीगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आय के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी:-
 - (क) चंडीगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) चंडीगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड की कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार चंडीगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड आय की विवरणी दायर करे।

[अधिसूचना सं. 109/2016/फा. सं. 196/17/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक